प्रेस नोट थाना कोतवाली
जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक – 08.11.2026

थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध देशी पिस्टल के साथ किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली के नेतृत्व में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 07.11.2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना कोतवाली पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त पंकज पुत्र नत्थूलाल नि0 मो0 भारतद्वाजी थाना कोतवाली शाहजहाँपुर के द्वारा वादिनी के पति मूलचन्द व अन्य परिवारीजनों के साथ मारपीट करने व जान से मारने की नियत से पिस्टल से फायर करने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 399/26 धारा 109(1)/115(2) बी0एन0एस0 कराया। आज दिनांक 08.11.2026 को थाना कोतवाली पुलिस टीम को जरिये मखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त पंकज उपरोक्त सीतापुर हाईवे से कहीं जाने की फिराक में है तथा वह छुपता छुपाता हुआ केरूगंज से होता हुआ कान्हा गौशाला वाली रोड से बरेली सीतापुर हाईवे की तरफ पैदल पैदल आ रहा है अगर जल्दी की जाए तो पकडा जा सकता है उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मुखविर द्वारा बताये स्थान बरेली सीतापुर हाईवे से लगभग 300 मीटर कान्हा गौशाला वाली के पास से एक व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़े हुए व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पंकज पुत्र नत्थूलाल, उम्र करीब 36 वर्ष, नि0 मो0 भारतद्वाजी थाना कोतवाली शाहजहाँपुर बताया तथा उक्त व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो पहने जीन्स की दाहिनी फेंट से, घटना में प्रयुक्त 01 अदद देशी पिस्टल 32 बोर तथा जीन्स की बांयी जेब से 01 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ तथा बरामदी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की बढोत्तरी की गयी। अतः अभियुक्त को उसके जुर्म धारा 109(1)/115(2) बी0एन0एस0 व 3/25/27 आयुध अधिनियम से अवगत कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताकर, समय 04:00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. पंकज पुत्र नत्थूलाल, उम्र करीब 36 वर्ष, नि0 मो0 भारतद्वाजी थाना कोतवाली शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 399/2026 धारा धारा 109(1)/115(2) बी0एन0एस0 व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः- दिनांक 08.11.2026 समय 04:00 बजे बरेली सीतापुर हाईवे से लगभग 300 मीटर कान्हा गौशाला वाली के पास थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरणः-

1. एक अदद देशी पिस्टल 32 बोर व
2. अदद जिंदा कारतूस 32 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर
2. का0 रोहित कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर
3. रि0का0 नवनीत कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर

पूछताछ अभियुक्तः-

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि कल दिनांक 07.11.2026 को शाम के समय करीब 04.00 बजे मेरी अपने पडोसी मूलचन्द्र व उसके परिवार से झगडा हो गया था गुस्से में मैने अपनी इसी पिस्टल से मूलचन्द्र के ऊपर फायर किया था वहां से भागते समय मेरी पिस्टल की मैग्जीन कहीं गिर गयी थी।